राजनीति के अपराधीकरण के बारे में सम्मेलन

2108. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 नवम्बर, 1992 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राजनीति के बदले हुए अपराधीकरण के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर मुख्यमंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है और राजनैतिक अपराधियों को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों ने सार्वजनिक जीवन के अपराधीकरण तथा चुनाव प्रक्रिया पर उसके पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की । सरकार मामले की आगे जांच कर रही है ताकि राजनीति के अपराधीकरण की समस्या से निपटने के लिए उचित उपाय खोजे जा सकें ।

Central Legislation to Ban Lotteries

2109. DR. ABRAR AHMED :
SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDAR :
SHRI JAGIR SINGH DARD :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to bring a legislation to ban the lotteries run by various Union Territories and State Governments; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : (a) and (b) The Central Government have no proposal at present to bring a legislation to ban the lotteries organised and run by various Union Territories and State Governments. However, the Union Government have banned the operation of private lotteries in the Union Territories with effect from 8-4-1985. As regards the banning of private lotteries in the States, which fall under Entry 34 of the State List, the same lies within the competence of the State Governments.

गृह मंत्रालय में आरक्षित पदों का भरा जाना

2110. **श्री मूल चंद मीणा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने रिक्त पदों को गत एक वर्ष के दौरान भरा गया है और इस संबंध में पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय में श्रेणीवार कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(ग) खाली पदों को भरने के समय भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटा पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं । तथापि, यदि योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन रिक्तियों को अनुवर्ती भर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों में जोड़ दिया जाता है ।